संख्या- 33/2017/124बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **22** दिसम्बर, 2017

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत् कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की परियोजना हेतु स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–31/2017/111बीपी/35-1-2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के पृष्ठांकन में-

"8-जिलाधिकारी, बांदा, 9- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा, 11-कोषाधिकारी, बांदा, 13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा" पढ़ा जायेगा। अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

2- संदर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या– 33/2017/124बीपी (1)/35-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।
5-प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
6-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7-मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
8-जिलाधिकारी, बांदा/चित्रकूट।
9-मुख्य विकास अधिकारी, बांदा/ चित्रकूट।
10-मुख्य कोषाधिकारी,लखनऊ।
11- कोषाधिकारी, बांदा/ चित्रकूट।
12-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा/ चित्रकूट।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in